

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(11)एमई/ग्रुप-1/2015

जयपुर, दिनांक : 25 OCT 2018

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24 बीबी के उपनियम (5) के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर फार्माकोलोजी विशिष्टता के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को डीएसीपी स्कीम के तहत उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। चिकित्सक शिक्षक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत कार्यरत रहेंगे :-

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति पद	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति चयन वर्ष	डीएसीपी स्कीम के तहत पदोन्नति तिथि
1.	डॉ. मोनिका मिश्रा	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	2018-19	01.04.2018
2.	डॉ. सुनिता तंवर	सहायक आचार्य	सह आचार्य	2018-19	01.04.2018
3.	डॉ. विनिता घोसलिया	सहायक आचार्य	सह आचार्य	2018-19	01.04.2018


यह आदेश निर्वाचन विभाग राज. जयपुर के पत्रांक प.3(1)(15)1/निर्वा. /2018/8350 दिनांक 24.10.2018 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किये जाते हैं।

आज्ञा से,


(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
6. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।



(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव